



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 898]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934

No. 898]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1064(अ).—केन्द्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की 13 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना, संख्या का.आ. 1490(अ) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, नामतः :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि को निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"4. डॉ. ए. जे. वी. प्रसाद—निदेशक (संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)"

[सं. 40020/20/2007-रसा.-I]

संजय बंसल, निदेशक

टिप्पण :—मुख्य अधिसूचना 13 सितम्बर, 2006 के सं. का.आ. 1490(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 9-8-2011 के सं. का.आ. 1894(अ) के तहत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petro-Chemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2012

S. O. 1064(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, number S.O. 1490(E), dated 13th September, 2006, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

In the said Notification, for serial number 4 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"4. Dr. A. J. V. Prasad— Director (Joint Secretary, Department of Chemicals and Petrochemicals)."

[F.No. 40020/20/2007-CH. I]

SANJAY BANSAL, Director

Note :—The principal notification was published vide No. S.O. 1490(E), dated 13th September, 2006 and last amended vide No. S.O. 1894(E) dated 9-8-2011.